बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक 06/10/25

अवैध खनन से संबंधित प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक–19.05.2025 को विभागीय जाँच टीम सुश्री प्रिया दीपिका, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा एवं श्री आशीष प्रकाश, खान निरीक्षक, दरभंगा द्वारा संयुक्त रूप से दरभंगा जिलान्तर्गत प्रखंड– बेनीपुर, पंचायत+ग्राम–पोहद्दी स्थित नन्नी चौर में छापामारी में 02 जे0सी0बी0 द्वारा अवैध खनन करता हुआ पाया गया। उक्त जे0सी0बी0 में से 01 जे0सी0बी0 को विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा पकड़ा गया जबकि 01 जे0सी0बी0 जिसका पीछा सुश्री प्रिया दीपिका, खनिज विकास पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक द्वारा किया गया उसे नहीं पकड़ा गया। अवैध खनन में संलिप्त जे0सी0बी0 को पकड़ने में खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा शिथिलता बरती गयी। सुश्री प्रिया दीपिका का यह कृत्य अवैध खनन के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं करने, कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है।

2. सुश्री प्रिया दीपिका, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा–सम्प्रति कैमूर के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 4110 दिनांक 30.07.2025 से आरोप पत्र में अंकित अवचार के बिन्दु पर लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

3. सुश्री प्रिया दीपिका, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा–सम्प्रति कैमूर द्वारा पत्रांक–533, दिनांक–20.08.2025 से लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। सुश्री प्रिया दीपिका से प्राप्त लिखित अभिकथन में अपने बचाव बयान जो भी तर्क दिये गये हैं उसकी समीक्षा सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में सुश्री प्रिया दीपिका द्वारा जे0सी0बी0 को नहीं पकड़ने एवं अवैध खनन के विरूद्ध प्रभावी कदम नहीं उठाने से संबंधित आरोप के संदर्भ में जो भी तर्क एवं साक्ष्य दिये गये है वे तथ्यात्मक नहीं है। इस स्थिति में सुश्री प्रिया दीपिका का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। सुश्री प्रिया दीपिका प्रथम दृष्टतया दोषी प्रतीत होते हैं। सुश्री प्रिया दीपिका के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को देखते हुए इसकी जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है।

4. अतएव सुश्री प्रिया दीपिका के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, दरभंगा तथा** प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, **खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, दरभंगा** को नियुक्त किया जाता है।

5. सुश्री प्रिया दीपिका से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अनुलग्नकः–आरोप पत्र साक्ष्य सहित (संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं सुश्री प्रिया दीपिका हेतु)

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

कृ0पृ0उ0

D:\Sanjay\arop/Sankalp

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–प्र0–II–रा0(आ0)–12/2025–................../एम0, पटना, दिनांक................

प्रतिलिपिः–अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, दरभंगा–सह–संचालन पदाधिकारी/ खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, दरभंगा–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/ सुश्री प्रिया दीपिका, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा सम्प्रति खनिज विकास पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही का निष्पादन कर जाँच प्रतिवेदन (मंतव्य सहित) विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–II–रा0(आ0)–12/2025–................../एम0, पटना, दिनांक................

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–II–रा0(आ0)–12/2025–................../एम0, पटना, दिनांक................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–II–रा0(आ0)–12/2025–5575/एम0, पटना, दिनांक 06/10/25

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

6/10/25

सरकार के अपर सचिव

6.10.25

D:\Sanjay\arop/Sankalp